

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग

PA5 1728  
13/7/19 R-290

NO/P.A./Dir./P.H./  
कमाक प-1(007) कार्मिक/क-3/जॉच/2006  
1620  
12 JUL 2019  
D.M. राजेंद्र कट्टा

जयपुर, दिनांक - 5 JUL 2019

आदेश

कट्टा, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (शल्य), भ्रमणशील शल्य चिकित्सा  
जयपुर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958  
के नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर समसख्यक दण्डादेश दिनांक  
23/10/2015 द्वारा डॉ कट्टा को देय एक वतनवृद्धि राचर्या प्रभाव से रोकें जाने के दण्ड से  
दाण्डित किया गया।

डॉ राजेंद्र कट्टा, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ के विरुद्ध जांच कार्यवाही के अन्य  
प्रकरण कमाक प1(023)कार्मिक/क 3/जॉच/2008, दिनांक 21/09/2015 में डॉ कट्टा को  
सेवा से पदच्युत (Dismissal From Service) किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः डॉ राजेंद्र कट्टा को अन्य प्रकरण में आदेश दिनांक 21/09/2015 द्वारा सेवा  
पदच्युत कर दिये जाने के कारण समसख्यक दण्डादेश दिनांक 23/10/2015 को आस्थगित  
(Keep in abeyance) रखे जाने तथा भविष्य में किसी भी कारण से डॉ कट्टा के विरुद्ध सेवा  
से पदच्युत आदेश निष्प्रभावी होने की स्थिति में समसख्यक दण्डादेश दिनांक 23/10/2015  
रखत ही प्रभाव में आने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजू राजपाल)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

- 01 विशेषाधिकारी, (वाई), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके कार फोन 19001729 दिनांक  
20/05/2019 के संदर्भ में।
- 02 शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
- 03 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 05 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज जयपुर।
- 06 अनुभागाधिकारी, कार्मिक(क 1/गो प्र) विभाग। (जन्म तिथि 09/01/1960)
- 07 अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(003)2006
- 08 डॉ राजेंद्र कट्टा, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ  
द्वारा:-शासन उप सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग
- 09 संकेत पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सीबी/सीएस/आर-290 लूज/2019/662

दिनांक 21/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन सयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाच) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प 1(007)का/क-3/शिका/2006 दिनांक 05.07.2019 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 6(8)चिरवा/2/07पार्ट दिनांक 17.07.2019 के क्रम में।
- 3 निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
- 4 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
- 5 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रौटेलाईट हॉस्पिटल, बनीपार्क, जयपुर को भेजकर लेख है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2019 डॉ0 कट्टा को अपने स्तर से तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावे।
- 6 डॉ0 राजेन्द्र कट्टा, तत्का क0वि0 (शल्य) द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
- 7 अति0 पशुसैनिक अधिकारी, राजपत्रित सस्थापन, अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।